

भोमपुरा गौशाला में गौवंश की मौत का मामला राज्य सरकार तक पहुंचा

जयपुर से पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारी रायसिंहनगर पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया

रायसिंहनगर, (निसं)। यहां गांव भोमपुरा स्थित गौशाला में लगभग 1०० गौवंशों की संदिग्ध मौत का मामला राज्य सरकार तक पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारी रायसिंहनगर पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) स्तर पर इस पूरे प्रकरण की निगरानी की जा रही है।

पशुपालन विभाग के निदेशक पंकज ओझा, संयुक्त निदेशक मनोज बरवड़ा, डीडी शशि रंजन सर्वा और

- ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में लंबे समय से अव्यवस्थाएं थीं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया**

- मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) स्तर पर इस पूरे प्रकरण की निगरानी की जा रही है**

वरिष्ठ पशु अधिकारी जितेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को जिले में ही रुककर हालात सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इस बीच जिला

प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने मामले को दबाने के आरोप लगाए। प्रशासन ने श्यामगढ़ के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेंद्र सुथार को निलंबित कर दिया है, जिससे ग्रामीणों

और गौसेवकों में रोष बढ़ गया है। बजरंग सेना के सभाग अध्यक्ष रामचंद्र सिहाग और जिला अध्यक्ष दिनेश ठोलिया ने डॉ. सुथार की बहाली की मांग करते हुए आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि गौशाला में लंबे समय से अव्यवस्थाएं थीं, लेकिन उच्च अधिकारियों ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। उनका आरोप है कि अब मामला सामने आने पर केवल निचले स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदार

ठहराया जा रहा है। शनिवार को गौशाला में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन की संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि जब तक निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। वर्तमान में गौशाला में 55 गोवंश बीमार स्थिति में हैं। आठ पशु चिकित्सक, 12 एलएसए (पशुधन सहायक) और चार पशुधन सहायकों की एक टीम उनके उपचार में जुटी हुई है।

हाईवे पर बदमाशों ने वाहनों पर पथराव किया

नेशनल हाईवे-48 की घटना, 8-1० वाहनों के कांच टूटे

उदयपुर, (निसं)। उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे–48 पर कुछ बदमाशों ने रविवार को चलते वाहनों पर पथराव किया। पथराव से आठ-1० वाहनों के कांच टूट गए। एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गया। वहीं, डूंगरपुर डिपो की रोडवेज बस पर अचानक पत्थर बरसने से यात्री सहम गए। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी।

घटना कागद आवासीय स्कूल के सामने ओवरब्रिज की है। जहां ट्रक, बस और कार पर पथराव हुआ। अचानक पथराव होता देख वाहनों चालकों ने गाड़ियां रोक लीं। वे वाहनों से बाहर आ गए और विरोध जताने लगे। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए लंबा जाम लग

53 हजार रुपये रिफंड करवाये

टोंक, (निसं)। थानाधिकारी निवाई घासीराम के नेतृत्व में गठित टीम ने अज्ञात सायबर ठग द्वारा परिवारी के खाते से 53 हजार रुपये ऑनलाइन धोखाधड़ी पूर्वक हड़पने के बाद थाना पुलिस ने ठगों से बाद जांच के 53 हजार रुपये वापिस परिवारी के खाते में रिफण्ड करवाया। थानाधिकारी निवाई ने बताया कि गत 3 दिसम्बर को परिवारी विजय शंकर द्विवेदी निवासी यश बैंक की गली भगत सिंह कॉलोनी निवाई द्वारा थाना निवाई में प्रकरण दर्ज कराय़ा गया कि अज्ञात आरोपी द्वारा मेरी पत्नी पुष्पा के यूनियन बैंक के खाते से 53 हजार रुपये बिना उसकी अनुमति के काट लिये।

इको कार से 1९ पेटी अवैध शराब बरामद, छह गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। जिला स्पेशल पुलिस टीम (डीएसटी) ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के संचिया के पास अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक पैसेंजर को गाड़ी से 1९ पेटी अवैध शराब बरामद की है।

इस मामले में ड्राइवर और 3 महिलाओं सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तस्कर इस अभियान से बचने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर पैसेंजर

- आरोपी सवारियों की आड़ में शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में थे**

गाड़ियों में सवारियों की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। इस सूचना पर डीएसटी की टीम को संचिया वरहात फला की ओर रवाना किया गया। टीम ने अवैध शराब से भरी एक इको कार को रोका।

पुलिस को देखकर ड्राइवर घबरा गया। गाड़ी में सवारियां होने के कारण किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस ने

जब गाड़ी की तलाशी ली, तो सवारी बैग में ही शराब की 1९ पेटियां भरी हुई मिलीं। आरोपी सवारियों की आड़ में शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में थे।

पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में प्रवीण (4०) पुत्र मीठालाल भगौरा निवासी संचिया, अजय (26) पुत्र विनोद घांसी निवासी कंकाड़ावास थाना सरदार नगर अहमदाबाद, अजय (23) पुत्र रमेश भाई ठाकोर, आरती (4०) पत्नी प्रमोद तमाईचे, सपना (4०) पत्नी अजय तमाहचे और राजेश्वरी (33) पत्नी संजु भाई को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में प्रवीण (4०) पुत्र मीठालाल भगौरा निवासी संचिया, अजय (26) पुत्र विनोद घांसी निवासी कंकाड़ावास थाना सरदार नगर अहमदाबाद, अजय (23) पुत्र रमेश भाई ठाकोर, आरती (4०) पत्नी प्रमोद तमाईचे, सपना (4०) पत्नी अजय तमाहचे और राजेश्वरी (33) पत्नी संजु भाई को गिरफ्तार किया है।

जब गाड़ी की तलाशी ली, तो सवारी बैग में ही शराब की 1९ पेटियां भरी हुई मिलीं। आरोपी सवारियों की आड़ में शराब को गुजरात ले जाने की फिराक में थे।

- फर्जी लेटर पैड पर अधिकारियों के फर्जी साइन और सील लगाकर मकान का फर्जी आवंटन किया जा रहा था**

इसी तरह से 1० लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी मुकेश नाराणीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रताप नगर थाना अधिकारी राजपाल सिंह का कहना है कि जवाहर नगर निवासी भगवती लाल भाट ने नाराणीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था, इसके बाद जब पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी तो कई चौकाने वाले खुलासे हुए और पूरी वाददात खुलकर सामने आई। पुलिस ने भगवती लाल की रिपोर्ट पर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया।

भीलवाड़ा, (निसं)। प्रताप नगर थाना पुलिस ने अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक फोटो वायरल कर ब्लैकमेल करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजपाल सिंह ने बताया कि एक महिला ने गत दोनों थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बेटी की शादी से पहले आरोपी आदिदान बंजारा उसकी इष्टद्वारागमा आईडी के माध्यम से युवती के आपत्तिजनक फोटो वायरल कर रहा है, इसके बाद पीड़िता के पति को जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए की भी मांग की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आईदान बंजारा पुत्र दुर्गा बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। पृष्ठताछ के दौरान आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जब्त कर मामले की जांच शुरू की है।

से हस्ताक्षर किए गए जबकि हाउसिंग बोर्ड में सचिव नाम की कोई पोस्ट होती ही नहीं है।

यहां तक कि लेटर पैड पर सचिव नाम

गिरफ्तार आरोपी।

यहां तक कि लेटर पैड पर सचिव नाम

गिरफ्तार आरोपी।

यहां तक कि लेटर पैड पर सचिव नाम

गिरफ्तार आरोपी।

भारत–पाकिस्तान सीमा पर जर्मन दंपती को ठहराया, मामला दर्ज

श्रीकरणपुर, (निसं)। यहां भारत–पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास एक जर्मन दंपती को अवैध रूप से ठहराने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थाने के उपनिरीक्षक माला सिंह की रिपोर्ट पर अप्रवास विदेशी विषयक अधिनियम 2०25 के तहत की गई है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा परस्थित श्रीकरणपुर क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के आगमन पर सख्त प्रतिबंध है। यदि कोई विदेशी नागरिक यहां आता है, तो उसके लिए कड़े नियम लागू होते हैं। इसके बावजूद जर्मन दंपति श्रीकरणपुर पहुंचा और सूत्रों के अनुसार गांव 16 एस माझीवाला के सीमावर्ती क्षेत्र में भी घूमकर आया था। इससे पहले वि्व हिंदू परिषद सहित जागरूक लोगों की सूचना पर चल रहे धर्मांतरण के खेल पर पुलिस ने दबिश दी थी।

- आरोपी के खिलाफ अप्रवास अधिनियम के तहत मामला दर्ज, पहले धर्मांतरण का केस भी हुआ था**

पूर्व में शरद गुंबर की रिपोर्ट पर धर्मांतरण के नए कानून के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उपनिरीक्षक माला सिंह ने विदेशी नागरिकों को यहां ठहराने और उनके खाने–पीने की व्यवस्था करने वाले युवक के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कराया है। उपनिरीक्षक माला सिंह ने धारा 17० बीएनएसएस में गिरफ्तार बलजिंदर सिंह और राजेश कंबोज से पूछताछ की। जर्मन निवासी

सेवनबोस बैटसलर पुत्र रिगो बैटसलर और उनकी पत्नी सांडर बैटसलर को राजेश कुमार कंबोज ने श्रीकरणपुर के कचौथेड़ी स्थित अपने मकान में तीन–चार दिन तक ठहराया था। राजेश कुमार कंबोज ने इन विदेशी नागरिकों को रहने और खाने–पीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। राजेश पांपी द्वारा अपने रिहायशी मकान में सीमावर्ती क्षेत्र में नियम विरुद्ध विदेशी नागरिकों को ठहराने और इसकी सूचना एफआरओ (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) या स्थानीय पुलिस प्रशासन को नहीं देने का यह कुत्थ धारा 8/23 अप्रवास व विदेशी विषयक अधिनियम 2०25 के तहत दंडनीय है। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उच्चाधिकारियों में आदेशानुसार जांच थानाधिकारी को सीपी गई है।

काँपर तार और ऑयल चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर से काँपर और ऑयल चुरा लिया था

डूंगरपुर, (निसं)। जिले की दोवड़ा थाना पुलिस ने घोड़ी आमली गांव में सिंगल फेज डीपी (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर) से काँपर तार और ऑयल चोरी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक रमनाथ उर्फ रूमालिया पर उदयपुर के दो थानों में कुल 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

दोवड़ा थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि यह मामला दोवड़ा एवीवीएनएल के एईएन नरेश कुमार मीणा की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, चुनीफला फला घोड़ी आमली में लगे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर को 17 दिसंबर की रात दो अज्ञात व्यक्तियों ने नीचे गिरा

दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्मर से काँपर और ऑयल चुरा लिया।

मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी पप्पू पुत्र रंगलाल कनिपा, निवासी गणेश लीमड़ी घोड़ी आमली तथा उसके सहयोगी रमनाथ उर्फ रूमालिया कालबेलिया को गिरफ्तार किया। रूमालिया मठ मादड़ी, प्रतापनगर, उदयपुर का निवासी है और वर्तमान में वाड़ी घाटी परसाद में रह रहा था। दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान डीपी से काँपर और ऑयल चोरी की वाददात कबूल कर ली है। आरोपी रूमालिया के खिलाफ उदयपुर के प्रतापनगर थाने में 1० और नाई थाने में एक सहित कुल 11 अपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आगे जांच कर रही है।

युवक की हत्या कर शव गड्ढे में फेंका, आरोपी गिरफ्तार

महिला से एक तरफा प्रेम के चलते वारदात को अंजाम दिया था

- चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गड्ढे में मृतक का शव मिला था**

चित्तौड़गढ़ हाईवे के फोरलेन की स्लीप लाईन के पास एक गड्ढे में व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली, जिस पर आरकेपुरम पुलिस टीम व घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। शहर एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान बाद में रोझड़ी निवासी करण के रूप में हुई। शहर एसपी ने बताया कि मृतक के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तारी के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में पुलिस उपा अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में आरकेपुरम्

मामले में सामने आया कि मृतक व आरोपी एक दूसरे से परिचित थे और एक महिला से एक तरफा प्रेम के चलते आरोपी ने मृतक को रास्ते से हटाने के लिये उस पर धारदार हथियार चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाद में शव को गड्ढ में फेंक कर फरार हो गया। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 2० दिसम्बर को गुर्जर चौक के पास

8० लाख रूपये के गबन में सोसायटी की महिला सचिव गिरफ्तार

मामले में सोसायटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस

- महिला आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया**

को महालक्ष्मीपुरम् निवासी फरियादी ने रिपोर्ट दी थी कि सोसायटी के कुछ पदाधिकारियों ने सोसायटी फंड व बैंक खातों में जमा तकरीबन 8० लाख रूपये का गबन व हेराफेरी की है। फरियादी

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

कोरखेड़ा थानाधिकारी अनिल कुमार टेलर ने बताया कि 12 दिसम्बर

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल कलेजवर सोसायटी, राजस्थान, जयपुर काविलय चुनाव अधिकारी रम्याई घोषिया वीर, 13-14 अक्टूबर 2025/2025/10-12-14:12.2025 क्रमिक: चुनाव/2025/SP-10-12-14:12.2025

सूचना

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल कलेजवर सोसायटी राजस्थान के सभी समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आयोजित करणों से पूर्व में चुनाव समिति का स्थापित काविलय रम्याई कौरेस होल, डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल कलेजवर सोसायटी, शालाना दुर्गरी जयपुर को स्थानान्तरित कर सी-ब्लॉक, गैर छात्रावास, संसदीयन क्षेत्र, J.N.मार्ग, टीकन भवन पर सामान्य पर कार्यलय के वीहे तथा RAS ब्लक के परर कर दिया गये है। चुनाव समन्वयी समस्त कार्य भेरा छात्रावास से ही संवर्धित किये जायेंगे। सम्बन्धन पूर्व में की वर्तमान काविलय से प्राप्त कार्य जा सकते हैं।

जे.पी. विमपस I(A/S)R काविलय चुनाव समिति